

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/1

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)

पिठासीन अधिकारी:- हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन
अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 1/2023 (विक्रमसिंह बनाम श्यामसुन्दर वगै0)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.02.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार बिसाऊ के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/329 दिनांक 24.02.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.03.2023 निर्णय वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम मलसीसर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 1.90 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म	लगान
1	विक्रमसिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	138 मि	0.63	बारानी-3	0.63
		किता-1	0.63	-	0.63
2	महीपालसिंह पुत्र हनुमानाराम हि0 1/2 जाति जाट श्यामसुन्दर पुत्र खेताराम हि0 1/2 जाति ब्राहमण सा0 दुलपुरा खातेदार	138 मि	1.27	बारानी-3	1.27
		किता-1	1.27	-	1.27

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.03.2023 को जारी की गई।



हवाई सिंह यादव
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर